भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1636
5 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना

1636. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि का तमिलनाडु सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं पर कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार के पास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एसएमई के लिए नियामक अपेक्षाओं को सरल बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): पीएलआई योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रोत्साहन सीधे अनुमोदित लाभार्थियों को जारी किए जाते हैं, न कि राज्य सरकार के माध्यम से। अब तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन के रूप में 1084 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

(ख), (ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना। इन योजनाओं के दिशा-निर्देश हितधारकों के परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। ये योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना, क्षमता निर्माण, नवाचार और औपचारिकीकरण के लिए वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करके एसएमई सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का समर्थन करती हैं।

एसएमई भी पीएमकेएसवाई योजना के विभिन्न घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। पीएमएफएमई योजना विशेष रूप से असंगठित इकाइयों के औपचारिकीकरण को लक्षित करती है, संस्थागत ऋण और आधुनिक अवसंरचना तक उनकी पहुंच में सुधार करती है। पीएलआईएसएफपीआई अभिनव और जैविक उत्पाद बिक्री के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से एसएमई का समर्थन करती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग और विपणन सहायता प्रदान करती है। मिलेट आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना खाद्य उत्पादों में मिलेट को शामिल करने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और बाजार विविधीकरण को बढ़ाकर एसएमई की और सहायता करती है। 70 एमएसएमई ने सीधे इस योजना के तहत नामांकन किया है और इसके अतिरिक्त 40 बड़ी फर्मों के लिए अनुबंध निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) नई प्रौद्योगिकियों और निवेशों के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई चैंपियंस योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आत्मनिर्भर भारत फंड, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित एसएमई के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाना और नियामक आवश्यकताओं को सरल बनाना है।

(ड़): सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। पीएलआईएसएफपीआई के तहत, नवीन और जैविक उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। पीएमएफएमई योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत करना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) कुंडली, हरियाणा में और निफ्टेम, तंजावुर, तमिलनाडु में राज्य तकनीकी संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण और अनुसंधान सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत विशेषीकृत संस्थान और रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) जैसे प्रमुख निकाय लक्षित प्रशिक्षण और अनुसंधान सहायता प्रदान करते हैं।

*****